सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 12/2016 दायर दिनाँक 16.12.2016

आवेदक		अनावेदकगण
1. बिरदाराम पुत्र मूलाराम, उम्र–32साल, जाति–जाट, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गुल्लाराम पुत्र केसराराम, 2. घींसाराम पुत्र कानाराम, 3. प्रसाराम पुत्र कानाराम, 4. पन्नाराम पुत्र कानाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. मजमें आम में पत्रावली पेश हुई।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 11.06.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम नूँवा में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–12/2016
दायर दिनाँक 16.12.2016 निर्णय दिनाँक 11.06.2018
बिरदाराम बनाम् गुल्लाराम, वगैरा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प–नूँवा कलाँ में पेश हुआ। प्रकरण के सम्बन्ध में मजमें आम में जानकारी ली गयी। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना ने राजस्व कोर्ट कैम्प दिनाँक 11.06.2018 में रिपोर्ट पेश की।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 11.06.2018 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक– शरहद नूँवा के खसरा नम्बर 321 में आने–जाने हेतु, खसरा नम्बर 322 में से होकर लाल स्याही से मार्क ए से बी भूमि को रास्ते की भूमि प्रस्तावित किया है जिसमें कि रकबा 0.12 बीघा भूमि को प्रस्तावित किया है।

शरहद नूँवा के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.09 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 11.06.2018 की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक लाल स्याही से मार्क ए से बी रकबा 0.12 बीघा भूमि को नजदीकी रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 11.06.2018 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट दिनाँक 11.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 321 वाकै शरहद नूँवा में आवागमन हेतु, तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनाँक 11.06.2018 के अनुसार, मौका रिपोर्ट

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–12 / 2016
दायर दिनाँक 16.12.2016 निर्णय दिनाँक 11.06.2018
बिरदाराम बनाम् गुल्लाराम, वगैरा।

मुताबिक, नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित मार्क ए से बी की भूमि रकबा 0.12 बीघा, को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

रास्ता में गयी भूमि की कीमत का, वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर, प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.06.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–12–2016 / रीडर / 2018 / दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

आवेदक		अनावेदकगण
1. बिरदाराम पुत्र मूलाराम, उम्र–32साल, जाति–जाट, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गुल्लाराम पुत्र केसराराम, 2. घींसाराम पुत्र कानाराम, 3. पुसाराम पुत्र कानाराम, 4. पन्नाराम पुत्र कानाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner